

राजस्थान की औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में नगर विकास न्यास

सारांश

प्रस्तुत पत्र में नगरों से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विचार किया गया है तथा नगरों में होने वाले निर्माण, उनसे प्राप्त आय व नगरों के विकास का देश के आर्थिक विकास के योगदान पर विस्तृत विवेचन किया गया है। नगरीकरण से संबंधित आंकड़ों को सरल व व्यवस्थित तथा तुलनात्मक रूप में व्यवस्थित तथा तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत कर प्रायोगिक विकास को भली भांति समझाया गया है, साथ ही नगरीय विकास से संबंधित समस्याओं को जानकर व उनका अध्ययन कर उचित समाधान भी बतलाया गया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में लगातार नगरीकरण हो रहा है एवं उसके कारण आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है।

मुख्य शब्द : नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, नगर विकास न्यास, हाउसिंग बोर्ड प्रस्तावना

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी का गठन राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.07.2004 को किया गया। जिसमें नगर विकास न्यास भिवाड़ी का क्षेत्राधिकार 19 ग्राम था। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.05.05 को अधिसूचना जारी कर तहसील तिजारा के 63 व तहसील कोटकासिम के 17 ग्राम और सम्मिलित कर नगर विकास न्यास भिवाड़ी का क्षेत्राधिकार 99 कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.05.2013 को अधिसूचना जारी कर तहसील बहरोड़ को 74 ग्राम एवं मुण्डावर तहसील के 63 ग्राम (कुल एस.एस.न.बी. क्षेत्र के 137 ग्राम) जोड़ दिये गये। इस प्रकार वर्तमान में कुल 258 ग्राम सम्मिलित है। भिवाड़ी नगर परिषद् क्षेत्र की वर्तमान में जनसंख्या लगभग 2 लाख से अधिक है, इसमें माइग्रेट औद्योगिक व भवन निर्माण श्रमिक सम्मिलित है। न्यास भिवाड़ी के अन्तर्गत वर्तमान में पांच तहसील क्षेत्र:- तिजारा, कोटकासिम, बहरोड़, मुण्डावर एवं नीमराणा के 250 ग्राम सम्मिलित हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान की औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में नगरीकरण की प्रवृत्ति को जानना है। अन्य उद्देश्य निम्न हैं:-

1. औद्योगिक नगरी भिवाड़ी के नगरीकरण की कार्य प्रणाली का अध्ययन।
2. नगरीकरण से सम्बन्धित संस्थाओं का अध्ययन।
3. नगरीय प्रबन्धन का अध्ययन।
4. औद्योगिक क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र का अध्ययन।
5. नगरीकरण की समस्याओं व उनके समाधान का अध्ययन।

न्यास भिवाड़ी के अन्तर्गत दो मास्टर प्लान भिवाड़ी - टपूकड़ा-खुशखेड़ा (BKT) दिनांक 01.09.2011 से एवं नीमराणा- बहरोड़- शांहजहापुर (SNB) दिनांक 22.05.2013 से लागू है। भिवाड़ी - टपूकड़ा- खुशखेड़ा (ग्रेटर भिवाड़ी मास्टर प्लान) मास्टर प्लान के अन्तर्गत तिजारा तहसील के 104 ग्राम एवं तहसील कोटकासिम के 17 ग्राम कुल 121 ग्राम सम्मिलित किये गये हैं। तथा नीमराणा- बहरोड़- शांहजहापुर मास्टर प्लान के अन्तर्गत बहरोड़ तहसील के 43, नीमराणा तहसील के 31 ग्राम व मुण्डावर तहसीलन के 63 ग्राम कुल 137 ग्राम सम्मिलित है। उक्त दोनों मास्टर प्लान के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्य नगर विकास न्यास, रीको, आवासन मण्डल एवं स्थानीय निकायों के द्वारा कराये जा रहे हैं।

न्यास क्षेत्र भिवाड़ी के क्षेत्राधिकार में आने वाले दो प्रमुख कर्सों भिवाड़ी में नगर परिषद् एवं बहरोड़ में नगर पालिका कार्यरत है। तथा भिवाड़ी, टपूकड़ा, नीमराणा, बहरोड़, शांहजहापुर, कोटकासिम प्रमुख कर्से भी न्यास के क्षेत्राधिकार में हैं।



भरत सिंह

शोध छात्र,
भूगोल विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर

न्यास के द्वारा भिवाड़ी में दो योजनाएं पूर्णरूप से विकसित की गयी है।

01. भगत सिंह योजना।

02. एकीकृत आवासीय योजना (12 सैकटर) व वसुन्धरा नगर

उक्त दोनों योजनाएं 1050 बीघा में विकसित की गयी है। जिसमें कुल 3982 आवासीय भूखण्ड एवं 521 व्यवसायिक भूखण्ड सम्मिलित है।

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी के द्वारा माह जनवरी 2009 से मई 2015 तक लगभग 123.92 करोड़ रुपये का निर्माण कार्य करवाये जा चुके हैं। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है—

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय राशि (लाखों में)	कार्य का विवरण
1	सीबर लाईन एवं घरेलू सीवरेज कनेक्शन का कार्य।	1530.20+350.00	लगभग 52 किमी लम्बाई में सीबर लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। 2058 घरेलू सीबर कनेक्शन प्रथम चरण में किए जा चुके हैं साथ ही द्वितीय चरण में लगभग 1100 कनेक्शन का कार्य किया जा रहा है।
2	सीबरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का कार्य	398.00	4.00 एम.एल.डी. क्षमता में एस.टी.पी. का संचालन न्यास द्वारा किया जा रहा है।
3	विभिन्न सरकारी इमारतों का निर्माण कार्य	853.51	उक्त कार्य के अन्तर्गत सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य, ऑफिस बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग इत्यादि का कार्य सम्मिलित है।
4	ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. क्वार्टरों का निर्माण कार्य	2260.00	भिवाड़ी में ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. के कुल स्वीकृत 1004 क्वार्टर में से 624 क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
5	न्यास क्षेत्र में डामरीकरण का कार्य	271.00	न्यास क्षेत्र की विभिन्न सड़कों पर डामरीकरण का कार्य किया गया है।
6	न्यास क्षेत्र में सीमेन्ट कंक्रीट सड़कों का निर्माण कार्य	2401.40	उक्त कार्य विधानसभा क्षेत्र की नीमराणा, मुण्डावर, किशनगढ़ बहरोड़ एवं तिजारा में स्वीकृत है।
7	न्यास क्षेत्र में साइनेज बोर्ड, बस स्टोप शेल्टर इत्यादि का कार्य	151.10	शहर के सौन्दर्यकरण हेतु उक्त कार्य कराया जा रहा है।
8	न्यास क्षेत्र में विद्युतीकरण का कार्य	590.69	उक्त कार्य के अन्तर्गत न्यास क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर हाईमास्ट लगाने का कार्य एवं अलवर बाईपास रोड पर विद्युतीकरण का कार्य सम्मिलित है।
9	बाबा मोहन राम परिक्रमा मार्ग का निर्माण कार्य।	275.00	धार्मिक स्थल काली खोली धाम पर निर्माण कार्य।
10	पार्कों का विकास कार्य	145.00	न्यास के द्वारा निर्मित विभिन्न पार्कों के सौन्दर्यकरण एवं रख-रखाव कराया जा रहा है।
11	मंशा चौके से टोल नाका सड़क का निर्माण कार्य।	380.00	पूर्व में उक्त सड़क जीणशीर्ण अवस्था में 5 मीटर चौड़ाई में निर्मित थी जिसको 7 मीटर चौड़ाई में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य कराया गया है।
12	विविध कार्य	1440.92	उक्त कार्य के अन्तर्गत चारदीवारी, शमशान घाट, नाली निर्माण कार्य, नाली मरम्मत कार्य, सड़क पेच कार्य इत्यादि सम्मिलित है।
13	न्यास के विभिन्न सैकटरों में पेवरीकरण / सी.सी. सड़क का कार्य।	1050.00	उक्त कार्य के अन्तर्गत न्यास के सैकटर 1,2,3,5,6,8,9, गौरव पथ एवं भगतसिंह कालोनी पर कार्य किया गया है।

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी के द्वारा निर्मित मुख्य कार्यों का विवरण

न्यास कार्यालय भवन का निर्माण कार्य

भगतसिंह कॉलोनी में 484.50 लाख रुपये की लागत से न्यास कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिसके अन्तर्गत इस भवन के प्रथम चरण में जी+1 निर्माण के अन्तर्गत भू-तल पर पर्किंग, बैंक परिसर प्रथम मंजिल पर कार्यालय भवन का निर्माण का कार्य कराया गया है। इसके उपरांत भविष्य में

आवश्यकताओं को देखते हुए अन्य कार्यालयों की स्थापना के लिए प्रावधान रखा गया है।

एस.टी.पी. का निर्माण कार्य

न्यास द्वारा न्यास की आवासी कॉलोनी व हाउसिंग बोर्ड की योजना में सीबरेज के ट्रीटमेंट हेतु 4.0 एम.एल.डी. क्षमता का एस.टी.पी. का निर्माण कार्य पूर्ण कर माह अप्रैल 2012 से चालू किया जा चुका है। जिसकी लागत रु. 398.00 लाख है। वर्तमण में एस.टी.पी. का

संचालन न्यास द्वारा किया जा रहा है। परिशोधन से प्राप्त जल का उपयोग करने हेतु विभिन्न पार्कों से एस.टी.पी. तक एच.डी.पी.ई. लाईन का कार्य पूर्ण कर लगभग 1.00 एम.एल.डी. उपयोग किया जा रहा है। शेष परिशोधित जल के कृषि उपयोग हेतु 40.00 लाख रु० लागत की पाईप लाईन थड़ा मोड़ तक डालने के कार्यादेश दिये जा चुके हैं जिसका कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जावेगा।

सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य

भिवाड़ी के निवासियों की सुविधा के लिए समारोह (विवाह आदि) हेतु समारोह स्थल नहीं होने के कारण अत्यधिक असुविधा होती थी। न्यास द्वारा भिवाड़ी में लगभग 110.00 लाख की लागत से न्यास की वसुन्धरा नगर योजना में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। तथा बुकिंग कराने हेतु राशि एवं शर्तों का निर्धारण भी ट्रस्ट मिटिंग में किया जा चुका है। न्यास भिवाड़ी में निर्मित सामुदायिक भवन के अतिरिक्त नीमराणा, बहरोड़ एवं शांहजहापुर में प्रत्येक 100.00 लाख रु० की लागत से निर्माण कार्य कराया जा रहा है जो कि लगभग पूर्ण हो चुका है।

न्यास में विद्युतीकरण एवं सौन्दर्यकरण इत्यादि का कार्य

पूर्व में न्यास गेस्ट हाउस भिवाड़ी में भूतल पर केवल 4 कमरे एवं एक रसोई की व्यवस्था थी। जो कि प्रर्याप्त नहीं होने के कारण प्रथम मंजिल पर रु. 44.00 लाख की लागत से 6 कमरों, एक रसोई एवं एक हॉल का निर्माण कार्य कराया गया है।

बाबा मोहन राम परिक्रमा मार्ग का विकास

बाबा मोहन राम काली खाली पर वर्ष में दो बार मेला लगता है जिसमें लगभग 20.00 लाख दर्शनार्थी आते हैं भविष्य में श्रद्धालु संख्या बढ़ने की सम्भावना को देखते हुए काली खाली परिक्रमा मार्ग पर डामरी करण सड़क का निर्माण कार्य कराया गया जिस पर 275.00 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

न्यास में विद्युतीकरण एवं सौन्दर्यकरण इत्यादि का कार्य

बस स्टैण्ड पर 10 बड़े शोरूम का निर्माण कार्य कराया गया है जिस पर कुल व्यय 80.00 लाख रुपये किये गये हैं। जिनका न्यास द्वारा नीलामी द्वारा विक्रिय किया जाना है।

न्यास में विद्युतीकरण एवं सौन्दर्यकरण इत्यादि का कार्य

भिवाड़ी क्षेत्र के विभिन्न मुख्य स्थानों पर होर्डिंग लगाना हाई मास्ट लाईट लगाना, चौराहों का विकास कार्य, बस स्टोप शेल्टर एवं पार्क इत्यादि का निर्माण कार्य कराया गया जिसपर लगभग 600.00 लाख रु. व्यय किये गये हैं।

न्यास क्षेत्र में विविध विकास कार्य

न्यास क्षेत्र भिवाड़ी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में शमशान घाट निर्माण कार्य, चार दीवारी का निर्माण कार्य, स्कूल में कमरों का निर्माण कार्य, सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य, नाली निर्माण कार्य, नलकूपों का निर्माण कार्य, पैच कार्य, इत्यादि कार्य कराया गया है। जिस पर लगभग 1500.00 लाख रु. व्यय किये गये हैं।

न्यास सैक्टरों में पेवरीकरण का कार्य

उक्त कार्य के अन्तर्गत न्यास के विभिन्न सैक्टरों में सैक्टर 1,2,3,5,6,8 व 9 तथा गोरवपथ पर पेवरीकरण का कार्य कराया गया है। जिस पर लगभग 1050.00 लाख रु. व्यय किये गये हैं।

न्यास भिवाड़ी द्वारा कराये जा रहे विभिन्न मुख्य कार्यों का विवरण

सीवर व्यवस्था का कार्य

सीवर लाईन डालने का कार्य (फेज प्रथम)

फेज प्रथम के अन्तर्गत 1302.00 लाख रुपये न्यास की विभिन्न योजनाओं में सीवर लाईन डालने हेतु स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में नगर विकास न्यास, भिवाड़ी के द्वारा विकसित की गयी कॉलोनीयों के सैक्टर 1,2,3,4,5,6 ग्रुप हाउसिंह 5 एवं 6 सैक्टर 8,9 एक्स० 09 तथा न्यास क्षेत्र नजदीकी ग्राम भिवाड़ी, मिलकपुर, नंगलिया, खिजुरीवास, आलमपुर तथा हाउसिंग बोर्ड के सैक्टर 1,2,3 में सीवर लाईन डालने का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। सिजमें लगभग 52 किलोमीटर लम्बाई में सीवर लाईन डालकर 1300.00 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। न्यास द्वारा विकसित भगतसिंह कॉलोनी में Technically feasible नहीं होने के कारण सीवर लाईन डालने का कार्य नहीं किया गया है, जिसके लिये उचित क्षमता का अलग से एस.टी.पी. बनाया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के सैक्टर 1,2,3 के Domestic Sewerage को एस.टी.पी. तक लाने हेतु एन.एच. 71बी (धारूहेड़ा-सोहना-ताउड़ू रोड) की रोड कटिंग की जानी थी लेकिन एन.एच.एआई के द्वारा एन.एच. 71बी की रोड कंट्रिम की अनुमति नहीं दिये जाने के कारण Trench less तकनीक से रोड कटिंग वाले भाग में सीवर लाईन निर्णय लिया जाकर कार्य पूर्ण कराया गया। सीवर लाईन के कुछ मिसिंग लिंक एवं बस स्टैण्ड के सामने Trench Less तकनीक से सीवर लाईन के बचे कार्य को करने हेतु राज्य सरकार को 294.00 लाख की संशोधित स्वीकृति हेतु प्रकरण भेजा गया है, स्वीकृति के पश्चात् कार्य पूर्ण कराया जावेगा।

एस.टी.पी. का निर्माण कार्य

न्यास द्वारा न्यास की आवासीय कॉलोनी व हाउसिंग बोर्ड की योजना में सीवरेज के ट्रीटमेंट हेतु 4.0 एम.एल.डी. क्षमता का एस.टी.पी. का निर्माण कार्य पूर्ण किया पूर्ण कर माह अप्रैल 2012 से चालू किया जा चुका है। जिसकी लागत रु. 398.0 लाख है, तथा वर्तमान में लगभग 2.00 एम.एल.डी. जल का परिशोधन से प्राप्त लगभग 1.00 एम.एल.डी. जल का उपयोग न्यास क्षेत्र के विभिन्न पार्कों में एच.डी.पी.ई. पाईप लाईन से जोड़कर उपयोग किया जा रहा है। शेष जल के कृषि उपयोग हेतु राशि रु. 40.00 लाख की पाईप लाईन डालने के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं जिसका कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जावेगा।

सीवर लाईन से घरेलू सीवर जोड़ने का कार्य फेज-प्रथम
न्यास भिवाड़ी द्वारा 324.00 लाख रुपये की लागत से 3150 घरेलू कनेक्शन किये जा चुके हैं। उक्त कनेक्शन न्यास द्वारा निःशुल्क कराये जा रहे हैं।

सीवर लाईन से घरेलू सीवर जोड़ने का कार्य फेज-द्वितीय
न्यास भिवाड़ी द्वारा 350.00 लाख रुपये की लागत से लगभग 3100 घरेलू कनेक्शन किये जा चुके हैं। उक्त कनेक्शन न्यास द्वारा निःशुल्क कराये जा रहे हैं।

सीवर लाईन डालने का कार्य (फेज-द्वितीय)

भिवाड़ी में प्राकृतिक ढलान की समस्या को देखते हुए न्यास की प्रस्तावित कॉलोनियों व बाई-पास पर निजी बिल्डर्स द्वारा बनाई गई / बनाई जा रही कॉलोनियों की ताकि भिवाड़ी के आस-पास लगते हुए ग्रामों में (भिवाड़ी मास्टर प्लान में आने वाले क्षेत्र) सीवरेज समस्या हेतु द्वितीय फेज में कार्य कराए जाने का न्यास बैठक में निर्णय लिया गया है। फेज प्रथम में शेष रहे उक्त सीवर लाईन के कार्य हेतु WAPCOS के माध्यम से डीपीआर बनवायी जा चुकी है। जिसे तृतीय पक्ष परीक्षण हेतु जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के समक्ष भिजवाया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाएं न्यास भिवाड़ी द्वारा ई.डब्ल्यूएस. एवं एल.आई.जी. के आवासों का निर्माण कार्य

न्यास द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग हेतु सैकटर 3 एवं वसुन्धरा नगर में 1000 (जी+3) आवास आवंटन हेतु दिनांक 24.10.2009 से 08. 11.2009 तक आवेदन आमंत्रित किये गये। जिसमें एल.आई.जी. 300 एवं ई.डब्ल्यूएस. के 686 आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरियता सूची जारी की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा रु. 3090.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग हेतु 704 आवासों एवं अल्प आय वर्ग हेतु 300 आवासों के निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित कर कार्यादेश जारी किये गये थे। जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग हेतु 480 आवासों का निर्माण एवं अल्प आय वर्ग के 144 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया हैं तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग हेतु शेष 224 आवासों का निर्माण कार्य संवेदक मैसर्स दिविजा एन्फ्रास्टक्वर प्राओलि० के द्वारा अधूरा कार्य छोड़ दिये जाने के कारण Rescind की कार्यवाही की जा रही है। तथा अल्प आय वर्ग हेतु शेष 156 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिस पर लगभग 21.00 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। जिसका विस्तुत विवरण निम्नानुसार है:-

निर्माण कार्य ई.डब्ल्यूएस. क्वार्टर्स जोन द्वितीय

उक्त पैकेज के अन्तर्गत 224 क्वार्टरों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य हेतु कुल 600.00 लाख रु. की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी है। संवेदक के द्वारा लगभग 16 माह से कार्य बंद किया हुआ है। कार्य को पुनः शुरू करने हेतु मूल संवेदक के खिलाफ 2 & 3C की धारा के तहत कार्यवाही की गई है। उक्त कार्य पर कुल 209.00 लाख रु. का व्यय हुआ है। तथा कार्य में विलम्ब हेतु संवेदक के बिलों में से 8.76 लाख रु० की सस्ती लगायी जा चुकी है। संवेदक के द्वारा कार्य बंद किये जाने के फलस्वरूप संवेदक से कार्य को

Withdraw कर पुनः निविदाएं आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।

निर्माण कार्य ई.डब्ल्यूएस. क्वार्टर्स जोन द्वितीय

उक्त पैकेज के अन्तर्गत 224 क्वार्टरों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य हेतु कुल 600.00 लाख रु. की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी है। उक्त कार्य पर कुल 583.00 लाख रु. का व्यय हुआ है। तथा कार्य में विलम्ब हेतु संवेदक के बिलों में से 25.65 लाख रु. की सस्ती लगायी जा चुकी है। उक्त कार्य पूर्ण हो चुका है।

निर्माण कार्य एल.आई.जी. क्वार्टर जोन तृतीय

उक्त पैकेज के अन्तर्गत 256 क्वार्टरों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य हेतु कुल 690.00 लाख रु. की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी है। उक्त कार्य पर कुल 640.00 लाख रु. का व्यय हुआ है। उक्त कार्य पूर्ण हो चुका है।

निर्माण कार्य एल.आई.जी. क्वार्टर जोन प्रथम

उक्त पैकेज के अन्तर्गत 156 क्वार्टरों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य हेतु कुल 600.00 लाख रु. की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी है। संवेदक के द्वारा लगभग 15 माह से कार्य बंद किया हुआ था। संवेदक के द्वारा कार्य बीच-बीच में कार्य प्रारम्भ किया गया, तथा अब पुनः कार्य चालू कर दिया गया है। उक्त कार्य पर कुल 224.00 लाख रु. की सस्ती लगायी जा चुकी है।

निर्माण कार्य एल.आई.जी. क्वार्टर जोन द्वितीय

उक्त पैकेज के अन्तर्गत 144 क्वार्टरों का निर्माण कार्य गया है। निर्माण कार्य हेतु कुल 600.00 लाख रु. की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी है। उक्त कार्य पर कुल 380.00 लाख रु. का व्यय हुआ है। तथा कार्य में विलम्ब हेतु संवेदक के बिलों में से 24.00 लाख रु. की सस्ती लगायी जा चुकी है।

टोल नाका से मंशा चौक तक (पुरानी तिजारा सड़क) सी०सी० रोड निर्माण कार्य

उक्त सड़क की लम्बाई 3.00 किलोमीटर है। तथा केवल 5 मीटर चौड़ाई में निर्मित है। जो कि पुर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। इस सड़क को 7 मीटर चौड़ाई में सीमेन्ट कंक्रीट की सड़क से बनाया गया है। जिसकी लागत लगभग 380.00 लाख रुपये है। उक्त कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

विभिन्न चौराहों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाने का कार्य

आपराधिक गतिविधियों की रोक थाम हेतु नगर विकास न्यास, भिवाड़ी के द्वारा शहर के विभिन्न 4 मुख्य चौराहों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा लगा दिये गये हैं। तथा फूलबाग थाने में कट्रोल रूम स्थापित किया जा चुका है। उक्त कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

महानगरों की तर्ज पर स्टील के बस स्टोप बनाने का कार्य

1. भिवाड़ी में मुख्य इ१६ स्थानों पर नगर विकास न्यास भिवाड़ी के द्वारा महानगरों की तर्ज पर स्टील के बस स्टोप बनाने गये हैं।

2. पुराने रा बोर्ड के सैकटश्र 01,02,03 में आन्तरिक सड़को की स्थिति अत्यन्त दयनीय होने के कारण नागरिकों द्वारा सड़को के सुधार हेतु लगातार शिकायत की जा रही थी। इस हेतु नगर विकास न्यास भिवाड़ी द्वारा 173.00 लाख स्वीकृत कर सी.सी.सड़क निर्माण कार्य कराया गया है।
3. मंशा चौक का विकास कार्य— भिवाड़ी शहर के अन्दर मंशा चौक एसक महत्वपूर्ण चौक है। जिस पर चौराहे का विकास कार्य प्रगति इपर है जिसमें चौराहे पर सीमेन्ट कंक्रीट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
4. न्यास द्वारा निर्मित विभिन्न सड़को पर पुनः डामरीकरण का कार्य— न्यास स्कीम सैकटर 1,2,3,4,5,6,8,9 में विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़को एवं गौरव पथ पर डामरीकरण का कार्य लगभग 800.00 लाख रुपये की लागत से कराया गया है।
5. भिवाड़ी खुशखेड़ा टपूकड़ा मास्टर प्लान में 45 मी० सैकटश्र रोड (अलवर भिवाड़ी बाईपास से हाउसिंग बोर्ड तिराहे तक) निर्माण कार्य— उक्त कार्य की निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं तथा कार्य प्रगति पर है।
6. एस०टी०पी० से परिशोधित जल के उपयोग हेतु सैन्ट्रल पार्क एवं काली खोली पार्क तक एच.डी.पी.इ.लाईन डालने कार्य पूर्ण कर परिशोधित जल का उपयोग किया जा रहा है।
7. अफोडेबल हाउसिंग बोर्ड पॉलिसी के तहत निर्माणधीन ई.डब्ल्यू.एस व एल.आई.जी क्वाटरों में विभिन्न विकास कार्य— न्यास द्वारा एलआईजी ई० डब्ल्यूएस० के 1004 आवासों का निर्माण कार्य ३ विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। जिसमें आन्तरिक सीवर लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। तथा विकास किया जा रहा है। जिसमें आन्तरिक सजैसे चारदीवारी सड़क नाली, इत्यादि के कार्यों हेतु उक्त कार्य की निविदाएं दिनांक 29.05.2013 एवं 10.07.2013 को आमंत्रित की गई थी। लेकिन किसी भी निविदादाता द्वारा उक्त निविदा प्रक्रिया भाग नहीं लिया गया है। अब पुनः दिनांक 31.10.2014 इको निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। तथा कार्यादेश की कार्यवाही प्रगति पर है।
8. न्यास क्षेत्र में सी०सी० सड़को का निर्माण कार्य— वर्तमान में न्यास भिवाड़ी के अन्तर्गत 236 ग्राम समिलित है। जो कि 5 तहसीलों नीमराणा, मुण्डावर किशनगढ़, बास बहरोड एवं तिजारा के अन्तर्गत आते हैं। जिसके अन्तर्गत करीब 20.00 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य कराया जा रहे हैं।
9. अलवर बाईपास पर लाईटिंग का कार्य— उक्त कार्य न्यास भिवाड़ी द्वारा रुपये 125.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित की जला चुकी है। तथा कार्यादेश जारी कर दिया गया है। उक्त कार्य प्रगति पर है।
10. मंशा चौक से टोल नाका खिजूरीवास तक लाईटिंग का कार्य— उक्त कार्य न्यास भिवाड़ी द्वारा रुपये 56.54 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर

निविदा आमंत्रित की जा चुकी है संयोदक को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। तथा उक्त कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है।

11. बाबा मोहन राम परिक्रमा मार्ग पर रोड लाईटिंग का कार्य— भिवाड़ी शहर में बाबा मोहनराम प्रमुख धार्मिक स्थल है। उक्त स्थल का परिक्रमा मार्ग अनुमानित 4 किलोमीटर है उक्त मार्ग पर श्री की सुविधा हेतु रोड लाईट लगाने के लिए 46.00 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं द्वितीय स्वीकृति जारी की गई है। तथा कार्य पर प्रगति पर है।

भिवाड़ी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु निम्नलिखित कार्यों की डीपीआर बनाई जा रही है।
ठोस कचरा प्रबंधन की डीपीआर

श्री पी.यू.असनानी, कन्सलटेन्ट अहमदाबाद द्वारा यह डीपीआर न्यास में प्रस्तुत कर दी गयी थी जिसे स्वंद Approval हेतु NCRPCB Delhi भेजा गया था। NCRPB द्वारा डी.पी.आर. के कुछ बिन्दुओं पर कन्सलटेन्ट से स्पष्टीकरण चाहा गया जो कन्सलटेन्ट श्री पी.यू.असनानी को भिजवा दिये गये। इन बिन्दुओं का स्पष्टीकरण कन्सलटेन्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिन्हे मूल ही एन.सी.आर.पी.बी. को भेज दिया गया। एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा उसी स्पष्टीकरण से संबंधित कुछ आपत्तियाँ उठाई गई उन्हे भी कन्सलटेन्ट को भेज दिया गया। इसके पश्चात् दिनांक 29.12.2014 को श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिसमें सचिव स्वायत्त शासन एवं आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण भी उपस्थित थे, में हुये विचार विमर्श की अनुपालना में उपरोक्त डी.पी.आर. एवं संबंधित पत्रावली स्वायत्त शासन विभाग में भेजे जाने हेतु नगरीय विकास में दिनांक 23.01.2015 को प्रेषित कर दी गई है।

इस डी.पी.आर. को तैयार करने हेतु कन्सलटेन्ट श्री पी.यू.असनानी को क्रिडाई (भिवाड़ी) के माध्यम से कुल 8.00 लाख रु. का भुगतान किया जाना था। जिसे क्रिडाई द्वारा कर दिया गया है।

भिवाड़ी क्षेत्र की समस्त सीवरेज व्यवस्था (फेज द्वितीय) द्वारा WAPCOS

WAPCOS द्वारा यह डी.पी.आर. न्यास में प्रस्तुत कर दी गई है जिसे अतिरिक्त मुख्य सचिवत की अध्यक्षता में दिनांक 23.12.2013 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में तृतीय पक्ष परीक्षण हेतु एम.बी.एम. इंजिनियरिंग कॉलेज जोधपुर के प्रोफेसर श्री एस.के. सिंह को भिजवा दी गई थी। श्री एस.के. सिंह द्वारा डी.पी.आर. को पुनः सृजन हेतु WAPCOS को दिनांक 28.10.2014 को निर्देश दिये गये थे। WAPCOS द्वारा माह फरवरी 2015 में संशोधित डी.पी.आर. प्रस्तुत करने हेतु आश्वासन दिया गया है। WAPCOS द्वारा संशोधित डी.पी.आर. दिनांक 26.02.2015 को न्यास में प्रस्तुत कर दी है। जिसे Final Appraisal हेतु डॉ. एस.के. सिंह के समक्ष भिजवा दी गई है। डॉ. एस.के. सिंह से हुये विचार विमर्श अनुसार उनके द्वारा शीघ्र ही Appraisal रिपोर्ट भेज दी जाएगी। Appraisal रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् डी.पी.

आर. राज्य सरकार के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावेगी।

इस डी.पी.आर. को तैयार करने हेतु कन्सलटैन्ट WAPCOS की क्रिडाई (भिवाड़ी) के माध्यम से कुल 45.00 लाख रु० का भुगतान किया जाना था। जिसमें से कुल 25.75 लाख रु० का भुगतान क्रिडाई द्वारा WAPCOS को कर दिया गया है।

ड्रेनेज के संबंध में डी.पी.आर. द्वारा WAPCOS

WAPCOS द्वारा बरसाती पानी के निकास हेतु प्रोजेक्ट की ड्राफ्ट डी.पी.आर. तैयार कर न्यास में प्रस्तुत कर दी गई है। जिसमें बरसाती पानी के सुरक्षित एवं सुविधा जनक निष्पादन हेतु सात विकल्पों का विवरण दिया गया। इन सात विकल्पों का प्रेजेन्शन दिनांक 07.10.2014 को श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें से अंतिम विकल्प के निर्णय के पश्चात् इस डी.पी.आर. पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। इस डी.पी.आर. को तैयार करने हेतु कन्सलटैन्ट WAPCOS को क्रिडाई (भिवाड़ी) के माध्यम से कुल 85.00 लाख रु० का भुगतान किया जाना था। जिसमें से कुल 49.06 लाख रु० का भुगतान क्रिडाई द्वारा WAPCOS को कर दिया गया।

बाबा मोहन राम पार्क के लैण्ड स्केपिंग एवं वाटर बॉडी का विकास कार्य द्वारा श्री राजीव खन्ना ऑर्किटैक्ट दिल्ली

श्री राजीव खन्ना ऑर्किटैक्ट द्वारा उक्त कार्य से संबंधित मानचित्र तो उपलब्ध करा दिये हैं, परन्तु डी.पी.आर. आज दिनांक तक अप्राप्त है। इसके अलावा इस पार्क की चारदीवारी का काम कार्य कराये जाने के दौरान कुछ भूमि विवाद सामने आया है। इन भूमि विवादों के निपटारे के पश्चात् ही इस प्रोजेक्ट पर अग्रिम कार्यवाही संभव है। सचिव महोदय द्वारा भूमि के विवाद के निपटारे हेतु तहसीलदार न्यास एवं कानूनगों न्यास को ग्राम वासियों से वार्ता कर शीघ्र संभावित समाधान निकालने के निर्देश प्रदान किए गए हैं।

इस डी.पी.आर. को तैयार करने हेतु कन्सलटैन्ट WAPCOS को क्रिडाई (भिवाड़ी) के माध्यम से कुल 45.00 लाख रु० का भुगतान किया जाना था। जिसमें से कुल 19.00 लाख रु० का भुगतान क्रिडाई द्वारा श्री राजीव खन्ना ऑर्किटैक्ट को कर दिया गया है।

अन्य कार्य

नीमराणा कालीपहाड़ी में आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आय वर्ग के 1000 फ्लेट्स का निर्माण कार्य

राज्य सरकार द्वारा न्यास भिवाड़ी को 5 वर्षों में प्रतिवर्ष 1000 अल्पआय वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग के आवासों के निर्माण का लक्ष्य आवंटित किया गया, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा उक्त आवासों के निर्माण हेतु 3600.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकीर है। उक्त भूमि एसएनबी के मास्टर प्लान-2013 में संस्थानिक क्षेत्र हेतु आरक्षित है। जिससे आवास निर्माण संबंधित अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है।

बाबा मोहनराम विहार आवासीय योजना

न्यास द्वारा (10.62 हैक्टर) योजना में Low Profile/low density आवासीय भूखण्ड 1000 वर्गमीटर के 30 भूखण्ड एवं 700 वर्गमीटर के 45 भूखण्डों कुल 75

भूखण्डों की ले-आउट प्लान तैयार किया गया है। भूखण्डों की योजना तैयार कर राज्य सरकार की स्वीकृति प्रेषित की गई है।

नीमराणा के ग्राम कोलिला जोगा में सांस्थानिक योजना

इस योजना में लगभग 140 है। भूमि अवाप्ताधीन है जिसका भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रकाशन किया जा चुका है। अर्वांड पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन किया हुआ है।

45 मी० चौड़ी मास्टर प्लान की सड़क का निर्माण कार्य

यह एक मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क है जिसकी लम्बाई लगभग 800 मीटर है। इस सड़क की अवाप्ती की राशि की उपलब्धता हेतु पूर्व में हुड़को से ऋण लेने का प्रयास किया गया था। लेकिन राज्य सरकार से गारण्टी नहीं मिलने के कारण ऋण नहीं लिया जा सका। न्यास स्तर पर भी हुड़को से ऋण लेने की कार्यवाही का प्रयास किया गया लेकिन वह सफल नहीं हो सका। लगभग 95 प्रतिशत खातेदारों को 25 प्रतिशत विकसित भूमि के आरक्षण पत्र दिये जा चुके हैं। मौके पर कब्जा लिया जाकर सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है।

60 मी० चौड़ी मास्टर प्लान की सड़क का निर्माण कार्य

यह एक मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क है जिसकी लम्बाई लगभग 4 किलोमीटर है। इस सड़क की अवाप्ती की राशि की उपलब्धता हेतु पूर्व में हुड़को से ऋण लेने का प्रयास किया गया था। लेकिन राज्य सरकार से गारण्टी नहीं मिलने के कारण ऋण नहीं लिया जा सका। न्यास स्तर पर भी हुड़को से ऋण लेने की कार्यवाही का प्रयास किया गया लेकिन वह सफल नहीं हो सका। प्रकरण में खातेदारों से 25 प्रतिशत विकसित भूमि देये जाने हेतु विकल्प पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। लगभग 20 प्रतिशत खातेदारों द्वारा विकल्प पत्र प्रस्तुत किये जा चुके हैं। अन्य प्रक्रियाधीन है।

पंचशील आवासीय योजना फेज-प्रथम

उक्त आवासीय योजना 129.96 है। क्षेत्रफल में प्रस्तावित है। इस योजना की आवाप्ती की राशि की उपलब्धता हेतु पूर्व में हुड़को ऋण लेने का प्रयास किया गया था। लेकिन राज्य सरकार से गारण्टी नहीं मिलने के कारण ऋण नहीं लिया जा सका। न्यास स्तर पर भी हुड़को से ऋण लेने की कार्यवाही का प्रयास किया गया लेकिन वह सफल नहीं हो सका। उक्त योजना का अवार्ड दिनांक 11.03.2013 को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। जिसकी आवार्ड राशि लगभग 335 करोड़ रुपये है। जिसका भुगतान नहीं किया गया है।

मिनी सविवालय भिवाड़ी फेस-प्रथम

उक्त आवासीय योजना 13.35 है। क्षेत्रफल में प्रस्तावित है। उक्त योजना वर्तमानर मास्टर प्लान में टाउनशिप जोन के अन्तर्गत आती है। इस योजना की अवाप्ती की राशि की उपलब्धता हेतु पूर्व में हुड़को से ऋण लेने का प्रयास किया गया था। लेकिन राज्य सरकार से गारण्टी नहीं मिलने के कारण ऋण नहीं लिया जा सका। न्यास स्तर पर भी हुड़को से ऋण लेने की कार्यवाही का प्रयास किया गया लेकिन वह सफल नहीं हो सका। उक्त योजना का अवार्ड दिनांक 15.09.2011 को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया चुका है। जिसकी

अवार्ड राशि लगभग 58 करोड़ रुपये है। जिसमें 2 खसरे जो रोड से प्रभावित हैं के अलावा अन्य किसी भी खातेदारों का भुगतान नहीं किया गया।

भिवाड़ी नगरीय क्षेत्र की वर्षा जल एवं सीवरेज का निष्पादन

औद्योगिक प्रदूषित पानी एवं बरसात के पानी की निकासी का अभाव

भिवाड़ी शहर की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार प्राकृतिक ढलान हरियाणा क्षेत्र की तरफ होने के कारण पानी के निकासी की भिवाड़ी में समस्या बनी रहती है एवं भिवाड़ी शहर में पानी का जमाव बना रहता है। रीको द्वारा औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित पानी के परिशोधन हेतु CETP प्लान्ट स्थापित किया हुआ है जिसकी क्षमता मात्र 6.00 MLD है। परन्तु औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित पानी की मात्रा लगभग 9.00 से 10.00 MLD है। CETP की क्षमता कम होने के कारण शेष बचा प्रदूषित पानी न्यास के बरसाती नाले, खाली भूखण्डों में डाल दिया जाता है। CETP की क्षमता कम होने के कारण प्रदूषित पानी का सही तरीके से परिशोधन नहीं किया जाता है एवं उस पानी को अंतिम निस्तारण स्थल पर भेज दिया जाता है अंतिम निस्तारण स्थल हरियाणा व राजस्थान सीमा (खुशखेड़ा) पर रिथित होने के कारण वहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा इस प्रदूषित पानी का विरोध किया जाता है वर्तमान में CETP के विस्तार हेतु नगर विकास न्यास भिवाड़ी के द्वारा आवश्यक भूमि भी हस्तान्तरित कर दी गई है। CETP की क्षमता बढ़ाने की कार्यवाही RIICO द्वारा की जा रही है। तथा CETP से निकलने वाले Treated water को परिशोधन करने की कार्य योजना RIICO द्वारा तैयार की जा रही है।

औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित पानी को परिशोधन हेतु रीको द्वारा स्थापित CETP तक पहुंचाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में रिको द्वारा खुली नालियों बना रखी है। खुली नालियों से होकर प्रदूषित पानी कुछ लम्बाई में पाईप लाईन के माध्यम से CETP तक पहुंचता है। वर्षाकाल में वर्षा होने पर बारिश का पानी भी औद्योगिक क्षेत्र में खुली नालियों में मिल जाता है। जिन स्थानों पर खुली नालियों से प्रदूषित परनी पाईप लाईन में डाला जाता है। उन स्थानों पर रीको द्वारा चैम्बर बनाकर गेटवाल बना रखा है। वर्षा काल में रीको द्वारा गेटवाल खोल दिया जाता है जिससे प्रदूषित पानी बारिश के पानी के साथ मिश्रित होकर न्यास के बरसाती नालों में डाल दिया जाता है। उक्त पानी न्यास के बरसाती नालों से होता हुआ न्यास की आवासीय स्कीम वसुन्धरा नगर एवं भगतसिंह कॉलोनी की सड़कों से भरकर एन.एच. 8 को Cross करके हरियाणा राज्य की सीमा में प्रवेश कर जाता है। हरियाणा राज्य द्वारा उक्त पानी को राजस्थान सीमा पर ही रोक दिया जाता है जिससे पानी भिवाड़ी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर भर जाता है एवं भिवाड़ी शहर में विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उक्त समस्या के निदान हेतु पानी की समुचित निकासी बावत भारत सरकार के उपक्रम WAPCOS के द्वारा CREDAI के वित्तीय सहयोग ये DPR तैयार कराई जा रही है। इस डी.पी.आर. में नगरीय सीमा

में वर्षा जल के निष्पादन की कार्य योजना का समावेश किया गया है।

WAPCOS द्वारा ड्राफ्ट डी.पी.आर. तैयार कर न्यास में प्रस्तुत कर दी गई है। जिसमें बरसाती पानी से सुरक्षित एवं सुविधा जनक निष्पादन हेतु सात विकल्पों का विवरण दिया गया। इन सात विकल्पों का प्रजेन्चेशन दिनांक 07.10.2014 को श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें से अंतिम विकल्प के निर्णय के पश्चात इस डी.पी.आर. पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

इस डी.पी.आर. को तैयार करने हेतु कन्सलटेन्ट WAPCOS को क्रिडाई (भिवाड़ी) के वित्तीय सहयोग से भुगतान किया जा रहा है।

Interated Sewerage Project

वर्तमान में नगर विकास न्यास, भिवाड़ी द्वारा न्यास विकसित की गयी कॉलोनियों के सैक्टर 1,2,3,5,6 ग्रुप हाउसिंग 5 एवं 6, सैक्टर 8,9 एक्स० 09 तथा न्यास क्षेत्र नजदीकी ग्राम भिवाड़ी, मिलकपुर, नंगलिया, खिजुरीवास, आलमपुर तथा पुराना हाउसिंग बोर्ड के सैक्टर 1,2,3 में सीवर लाईन डालने का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें लगभग 52 किलोमीटर लम्बाई में सीवर लाईन डालकर 1300.00 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। न्यास द्वारा विकसित भगतसिंह कॉलोनी में Technically feasible नहीं होने के कारण सीवर लाईन डालने का कार्य नहीं किया गया है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के सैक्टर 1,2,3 के Domestic sewerage को एस.टी.पी. तक लाने हेतु एन.एच. 71 बी (धारुहेड़ा—सोहना—ताउड़े रोड) की रोड कटिंग अनुमति नहीं दिये जाने के कारण Trench less तकनीक से रोड कटिंग वाले भाग में सीवर लाईन डालने निर्णय लिया जाकर कार्य पूर्ण कराया गया।

न्यास क्षेत्र के 19 ग्राम जिसमें से अधिकतर ग्राम जिनकी भूमि रीको द्वारा अवायप्त की गई थी उनमें सीवरेज निष्पादन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य शायन सचिवस की अध्यक्षता में दिनांक 21 मई 2013 को हुई बैठक में नगरीय क्षेत्र भिवाड़ी के मूलतः 19 ग्रामों के सीवरेज के निष्पादन हेतु WAPCOS से डी.पी.आर. तैयार करने के निर्देश प्रदान किए गए जिसकी अनुपालना में क्षेत्र की Domestic waste के निष्पादन की व्यवस्था हेतु भी WAPCOS से एक डी.पी.आर. बनवायी जा रही है। WAPCOS द्वारा यह डी.पी.आर. न्यास में प्रस्तुत कर दी गई है जिसे श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 23.12.2013 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में तृतीय पक्ष परीक्षण हेतु एम.बी.एम. इन्जीनियरिंग कॉलेज जोधपुर के प्रोफेसर श्री एस.के. सिंह को भिजवा दी गई थी। श्री एस.के. सिंह द्वारा डी.पी.आर. से संबंधित कुछ बिन्दुओं पर आपत्ति व्यक्त करते हुये डी.पी.आर. को पुनः सूजन हेतु WAPCOS को दिनांक 28.10.2014 को निर्देश दिये गये थे। WAPCOS द्वारा दिनांक 26.02.2015 को संशोधित डी.पी.आर. न्यास में प्रस्तुत कर दी है जिसे अंतिम रूप से परीक्षण हेतु प्रोफेसर श्री एस.के.सिंह के समक्ष भिजवा दिया गया है। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होते ही डी.पी.आर.त्र स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के समक्ष भेजी जायेगी।

इस डी.पी.आर. को तैयार करने हेतु कन्सलटैन्ट WAPCOS को क्रिडाई (भिवाड़ी) के वित्तिय सहयोग से भुगतान किया जा रहा है। इस क्रम में यह भी उचित होगा कि रीको द्वारा जिन ग्रामों की भूमि अवाप्त की गई है उनमें घरेलू सीवरेज निष्पादन का कार्य उन्ही के स्तर से किया जावें।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि समय के साथ-साथ औद्योगिक नगरी भिवाड़ी आवश्यक आधारभूतीय सुविधाओं के साथ आधुनिक औद्योगिक नगर के रूप में परिवर्तित हो रही है। इस औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के कारण लोगों के रहन सहन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो लोग पहले ग्रामीण स्तर पर जीवनयापन कर रहे थे, अब वे शहरी सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, विकास की तीव्र गति को देखते हुए विभिन्न बिल्डर्स ने अपने-अपने अपार्टमेंट बनाकर लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराकर इस क्षेत्र की नगरीकरण वृद्धि को तीव्र गति प्रदान की है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. आर्थिक समीक्षा 2015–16, भारत सरकार, नई दिल्ली /
2. आर्थिक समीक्षा 2015–16, राजस्थान सरकार, जयपुर /
- 3- यादव, मिलन कुमार (2009), *Urbanization and Environmental Sustainability of Ajmer City*"
4. भल्ला, एल.आर. (2008), राजस्थान का भूगोल, कुलदीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली /
5. नाथुराम का, एल.एन. 2008, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, कॉलेज बुक हाउस, जयपुर
6. जिला दर्शन (2008), उदयीमान राजस्थान, सूचना व जन संपर्क कार्यालय, अलवर
7. अलवर हौसले की उड़ान (2007) सूचना एवं जन संपर्क कार्यालय, अलवर
8. तिवारी, आर.सी. (2004), अधिवास भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद
9. बंसल, सुरेश चंद (2004) नगरीय भूगोल, मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ
- 10- महलावत, उमिला (1996) *Industrial Growth Centres of Alwar district: A comparative Analysis*